इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 456 भोपाल, मंगलवार, दिनांक 14 अगस्त 2018—श्रावण 23, शक 1940

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

सूचना

भोपाल, दिनांक 14 अगस्त 2018

क्र. एफ-2-9-2013-बाईस-पी-1.—मध्यप्रदेश पंचायत सेवा (ग्राम पंचायत सचिव भर्ती और सेवा की शर्तें) नियम, 2011 में संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप जिसे राज्य सरकार, मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1, सन् 1994) की धारा 95 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 69 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, बनाना प्रस्तावित करती है, उक्त अधिनियम की धारा 95 की उपधारा (3) द्वारा यथा अपेक्षित किए गए अनुसार उन समस्त व्यक्तियों की, जिनके कि उससे प्रभावित होने की संभावना है, जानकारी के लिये एतद्द्वारा, प्रकाशित किया जाता है और एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि ''मध्यप्रदेश राजपत्र'' में इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों का अवसान होने पर उक्त प्रारूप पर विचार किया जाएगा.

किसी भी आपत्ति या सुझाव पर, जो उक्त प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से ऊपर विनिर्दिष्ट कालावधि का अवसान होने के पूर्व प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, वल्लभ भवन, भोपाल को प्राप्त हो, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा.

प्रारूप संशोधन

उक्त नियमों में,-

1. नियम 6 में, उपनियम (5) में, शब्द ''साठ वर्ष'' के स्थान पर, शब्द ''बासठ वर्ष'' स्थापित किया जाए.

2. अनुसूची एक के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची स्थापित की जाए, अर्थात् :—

"अनुसची-एक

(नियम 4 देखिए)

ग्राम पंचायत सचिव का वर्गीकरण तथा वेतनमान

अनुक्रमांक	पद का नाम जिस पर नियुक्ति की जानी है.	मानदेय/वेतनमान तथा यात्रा भत्ता	नियुक्ति प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	ग्राम पंचायत सचिव	(क) नव नियुक्त पंचायत सचिव को दो वर्ष तक रुपये 10,000/- प्रतिमाह की दर से मानदेय का भुगतान किया जाएगा और दो वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण कर लेने के पश्चात् नियमित वेतनमान रुपये 5200—20200+1900 ग्रेड वेतन का हकदार होगा. (ख) पंचायत सचिव जिसने दस वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर ली है वह 5200—20200+2400 ग्रेड वेतन के वेतनमान का हकदार होगा. (ग) पंचायत सचिव को 3 प्रतिशत की दर से वार्षिक वेतनवृद्धि का भुगतान किया जाएगा, जो जुलाई में देय होगी. (घ) वह रुपये 250/- प्रतिमाह की दर से नियत यात्रा भत्ता का हकदार होगा.".	(क) मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत.".

NOTICE

No F-2-9-2013-XXII-P-1.—The following draft of amendments in the Madhya Pradesh Panchayat Service (Gram Panchayat Secretary Recruitment and Condition of Service) Rules, 2011, which the State Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 95 read with Section 69 of the Madhya Pradesh Panchayat Raj Avam Gram Swaraj Adhiniyam, 1993 (No. 1 of 1994) is hereby published as required by sub-section (3) of Section 95 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft shall be taken into consideration on the expiry of thirty days from the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette.

Any objection or suggestion which may be received at the Principal Secretary, Panchayat and Rural Development Department, Vallabh Bhawan, Bhopal from any person with respected to the said draft before the expiry of the period specified above shall be considered by the State Government.

DRAFT OF AMENDMENT

In the said rules,—

1. In rule 6, in sub-rule (5), for the words "sixty years" the words "sixty two years" shall be substituted.

2. For Schedule-I, the following Schedule shall be substituted, namely :—

"SCHEDULE-I
(See rule 4)

CLASSIFICATION AND PAY SCALE OF THE GRAM PANCHAYAT SECRETARY

S. No. (1)	Name of post to which appointment to be done (2)	Honorarium/Pay Scale and Travelling Allowance (3)	Appointing Authority (4)
1	Gram Panchayat Secretary	(a) Newly appointed Panchayat Secretary shall be paid Honorarium at the rate of Rs. 10000/- per month till two years and after completing of two years satisfactory service he shall be entitled to the regular pay Scale of Rs. 5200—20200 Plus Rs. 1900/- Grade pay. (b) The Panchayat Secretary who has completed Ten years regular Service shall be entitled to pay Scale of 5200—20200 Plus Rs. 2400/- Grade pay. (c) The Panchayat Secretary shall be paid annual increment at the rate of 3 Percent which shall be payable in July. (d) He shall be entitled to fixed travelling allowance at the rate of Rs. 250/- Per month.''.	Chief Executive Officer Zila Panchayat.".

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शमीम उद्दीन, उपसचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2018.